संख्या- 4 /2016/1211/35-1-2015-6/8(3)/2011

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ:*दिनांक*: 19 फरवरी,2016*

विषय: उ0प्र0 के कृषकों की आय में वृद्धि के संबंध में थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन के रूप में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से अध्ययन/मूल्यांकन कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1393/चार-2017/मू0प्र0, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि शा0सं0-261/35-1-2011-6/8 (3)/2011, दिनांक 25.02.2011 द्वारा उ0प्र0 के कृषकों की आय में वृद्धि के आंकलन का अध्ययन/मूल्यांकन गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से कराये जाने हेतु रू0 51,19,400/- धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त अनुमोदन के सापेक्ष अब तक तीन किश्तों में कुल रू0 46,07,480/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग के पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 30 अक्टूबर,2015 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय की गयी धनराशि के विवरण को संलग्न करते हुए अवशेष धनराशि रू0 2,08,585/- (रूपये दो लाख आठ हजार पॉच सौ पच्चासी मात्र) की मॉग की गयी है। अत: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के का0 ज्ञा0 सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक-3451 के अन्तर्गत ''07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 50,00,000/- के सापेक्ष उक्त अध्ययन के कुल लागत के अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि रू0 2,08,585/- (रूपये दो लाख आठ हजार पॉच सौ पच्चासी मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने के साथ-साथ उक्त अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4. उक्त स्वीकृति धनराशि निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार आहरित करके गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लेखा जोखा निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रखा जाएगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय नियोजन विभाग के आय-व्ययक 2015-16 की अनुदान संख्या- 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष्क '3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 4 /2016/1211/35-1-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज हाउसिंग योजना, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।